रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D L -33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 773] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 7, 1992/अग्रहायण 16, 1914
No. 773] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 7, 1992/AGRAHAYANA 16, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1992

का आ 890(अ).—वाणिजियक नौवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 21 के खंड (ख) के उप खंड (ii) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत के नागरिकों द्वारा धारण की जाने वाली किसी

कम्पनी की शेयर पूंजी की 60% की न्यूनतम प्रतिशतता को संशोधित करके 49% करती है, जैसा कि भारत सरकार, तत्कालीन परिवहन मंत्रालय (परिवहन विभाग) की दिनांक 9 अप्रैल, 1963 की अधिसूचना स. का. आ. 1109 में विनिर्दिष्ट है।

[फा. सं. एस. आर -11012/1/91-एम. ए.]

एस. एन. ककड, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 1992

S.O. 890(E).—In exercise of the power conferred by the proviso to sub-clause (ii) of clause (b) of Section 21 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby alters the minimum percentage of the share capital of a company to be held by citizens of India from sixty per cent, as specified in the Government of India, erstwhile Ministry of Transport (Department of Transport) Notification No. S.O. 1109, dated the 9th April, 1963, to forty-nine per cent.

[File No. SR-11012/1/91-MA]

S. N. KAKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992